

रीख  
कम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

अहम  
हुकम के  
जा

उचित नहीं समझता हूँ। मता पत्रावली  
अदम दायरी अदम पैली में खारिज  
की जाती है। बाद उत्तव शुमार टैकर  
नम्बर से कम लिया जावे। निर्णय आज  
दिनांक 9-12-2022 को सरे इजलास हुआ  
गया। ✓